

प्रपत्र-8

बीमा कम्पनी द्वारा क्लेम निरस्त किये जाने की स्थिति में नेटवर्क अस्पताल को क्लेम निरस्त किये जाने के कारणों से अवगत कराये जाने हेतु भेजा जाने वाला प्रपत्र

1. मरीज का नाम:-
2. मरीज की भर्ती की दिनांक:-
3. TID संख्या:-
4. इस TID पर लिये गये पैकेज कोड:-
5. रिजेक्ट किये पैकेज कोड:-
6. पैकेज को रिजेक्ट किये जाने का कारण (दिशा निर्देश के बिन्दू संख्या 19 के अनुसार):-

विशेष सूचना:- यदि नेटवर्क अस्पताल बीमा कम्पनी द्वारा किये गये क्लेम रिजेक्शन से असहमत है तो वह दिशानिर्देश के बिन्दू संख्या 20 के अनुसार निरस्त किये गये क्लेम को पूनः खोले जाने हेतु आवेदन कर सकता है।

दिनांक:

चिकित्सक के हस्ताक्षर मय सील